राजस्थान विधान सभा

दशम् सत्र

कार्य-सूची

सोमवार, दिनांक 11 मार्च, 2013

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, पंचायती राज विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

पंचायती राज विभाग

1- अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)पीईएसए-रूल/लीगल/पीआर/2010/249 दिनांक 27.2.2013 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए ग्रामों को मान्यता प्रदान की गई है ; एवं

2- अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)पीईएसए-रूल/लीगल/पीआर/2010/250 दिनांक 27.2.2013 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (मोडिफिकेशन ऑफ प्रोविजन्स फोर देयर एप्लीकेशन टू शिड्यूल्ड ऐरियाज) नियम, 2011 में संशोधन किया गया है ।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

(I) श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री आउटपुट बजट वर्ष 2011-2012 एवं आउटकम बजट वर्ष 2012-2013 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(II) डॉ. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री , विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा- 104 (4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2008-2009 के लेखों की ऑडिट रिपोर्ट एवं उस पर टिप्पणी सदन की मेज पर रखेंगे ।

3. याचिकाओं का उपस्थापन

I- श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा, सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के राजकीय अस्पतालों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं आरम्भ करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

II- श्रीमती कमला कस्वां, सदस्य, विधान सभा, सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों को सुधारने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

जारी..2..

4. विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

(1) राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013

(I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान विशेष न्यायालय(संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्या-12)	"राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 को संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(2) राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2013

(I) श्री बृजकिशोर शर्मा, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्या-11)	"राजस्थान राज्य में विद्यालयों द्वारा फीस के संग्रहण के विनियमन और इससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

5. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-2014

प्रथम अवस्था

सामान्य वाद-विवाद

राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-2014 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद होगा ।

(विभिन्न दलों के सचेतकों/नेताओं द्वारा दी जाने वाली सूची के अनुसार बोलने की अनुमति दी जायेगी)

पी.के.शास्त्री
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 08 मार्च, 2013